कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-189/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

नगर पंचायत,

द्वाराहाट

जनपद- अल्मोड़ा

वषय : नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद- अल्मोड़ा का वर्ष 2014-15 से 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 03 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-189/2017-18/ दिनांक : /05/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साई इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1**89** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा, के माह 2014-15 से 2016-17 तक के लेखा अ भलेखों की लेखा परीक्षा श्री हिमांशु शर्मा सहायक लेखापरीक्षा दिनांक 23.03.2018 से 28.03.2018 तक श्री संजय कुमार वर्मा लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रणवीर सिंह चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुशील देवली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **15.03.2016** से **21.03.2016** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2012-13** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:- 2.88 वर्ग मीटर

(ii) नगर पंचायत कुल जनसंख्या -2749
(iii) नगर पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या- 04
(iv) नगर पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या- 04
(v) उपसमितियों -06
(vi) कर्मचारियों की संख्या-
(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद- नैनीताल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( )

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-
2014-15	0	3549219.00	2787629.00	2787629.00	9698871.00	5477195.00	0	0	0	777089
2015-16	0	7770896.00	3079318.00	3079318.00	11120838.00	11834583.00	0	0	0	705715
2016-17	0	7057151.00	455635.00	455635.00	19014389.00	24017558.00	0	0	0	205398

धनराशि लाख में

क0स.	योजना का नाम	वर्ष 2015–16				
		पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि	वर्ष में आंवटित धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सांसद निधि	——	——	——	——	——
2	विधायक निधि	——	——	——	——	——
3	13 वां वित्त आयोग / 14 वां वित्त आयोग	———	19,53000	19,53000	19,53000.00	——
4	राज्य वित्त आयोग	7737448	8132000	15869448	9383797	6485651
5	अवस्थापाना विकास निधि	23000		23000	——	23000
6	दैवीय आपदा मद	———	———	——	——	———
7	अप्रान्तीयकृत मेला	——	———	——	——	———
8	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	——	———	———	———	——
9	मा0मुख्यमंत्री घोषणा	———	———	———	———	
10	स्वच्छ भारत मिशन	——	———	———	———	
11	निजी आय	10,448	1035838	1036882	497786	539096
12	विभिन्न अनुदान	———	——	——	———	———
	योग	7770896	11120838	18882330	11834583	7047747

धनराशि लाख में

क0स.	योजना का नाम	वर्ष 2016–17				
		पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि	वर्ष में आंवटित धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सांसद निधि	——	——	——	——	——
2	विधायक निधि	——	——	——	——	——
3	13 वां वित्त आयोग / 14 वां वित्त आयोग		933000	933000.00	933000.00	———
4	राज्य वित्त आयोग	6485651	8132000.00	14617651.00	12717574	1900077
5	अवस्थापाना विकास निधि	23000				
6	दैवीय आपदा मद	——	——	———	——	——
7	अप्रान्तीयकृत मेला	——	——	——	——	——
8	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	——	——	——	——	——
9	मा0मुख्यमंत्री घोषणा	———	——	——	——	——
10	स्वच्छ भारत मिशन	——	——	——	——	——
11	निजी आय	539096	9949389	10488485	10366984	121501
12	विभिन्न अनुदान	——	———	——	——	——
	योग	7047747	19014389	26039136	24017558	2021578

(धनराशि लाख में)

क0स.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15				
		पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि	वर्ष में आंवटित धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सांसद निधि	—	—	—	—	—
2	विधायक निधि	—	—	—	—	—
3	13 वां वित्त आयोग	—	1095000.00	1095000.00	1095000.00	—
4	राज्य वित्त आयोग	3353275	8132000	11485275	3747827	7737448
5	अवस्थापाना विकास निधि	23000		23000.00	—	23000.00
6	दैवीय आपदा मद	—	—	—	—	—
7	अप्रान्तीयकृत मेला	—	—	—	—	—
8	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	—	—	—	—	—
9	मा0मुख्यमंत्री घोषणा	—	—	—	—	—
10	स्वच्छ भारत मिशन	—				
11	निजी आय	172945	471871	644816	634368	10,448
12	विभिन्न अनुदान					
	योग	3549219	9698871	13248091	5477195	7770896.

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- तकनीकी नि वदा प्राप्त कये बिना स्ट्रीट लाईटों की आपूर्ति पर रु. 2.92 लाख की धनरा श व्यय करना एवं एजेन्सी से जमानत न लया जाना।

उत्तराखण्ड़ अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 2 के नियम 15(2) के अनुसार ज्यादा मूल्य के प्लांट, मशीनरी एवं तकनीकी नेचर की सामग्री की आपूर्ति हेतु दो नि वदा आमंत्रित की जानी चाहिए प्रथम तकनीकी एवं दूसरी वत्तीय नि वदा आमंत्रित की जानी चाहीए जो एजें सयां तकनीकी नि वदा में सफल होती है उन्ही एजेन्सीयों की वत्तीय नि वदा खोली जानी चाहिए।

वर्ष 2016 में 14वें वत्त आय़ोग के तहत निर्गत धनरा श में से स्ट्रीट लाईटों का क्रय कया गया उक्त हेतु दिंनाक 15.12.2016 को नि वदा आमंत्रित की गयी और न्यूनतम नि वदाता नैनीताल जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार ल. हल्द्वानी के साथ अनुबंध गठित कया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार 34 एल.ई.डी. लाईट्स 45 वाट (कंप्लीट) की आपूर्ति की जानी थी। नगर पंचायत द्वाराहाट द्वारा उक्त कार्य हेतु दिनांक 22.12.2016 को आपूर्ति आदेश निर्गत कया और दिनांक 27.12.2016 को आपूर्ति आदेश निर्गत कया और दिनांक 27.12.2016 को एजेंसी द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गयी जिसमें रु. 2.92 लाख की धनरा श व्यय की गयी थी।

उपर्युक्त कार्य से संबन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क नगर पंचायत द्वारा केवल वत्तीय नि वदा के आधार पर सामग्री की गयी तकनीकी नि वदा आमंत्रित नहीं की गयी। आगे जाँच में पाया गया क नगर पंचायत द्वारा एजेन्सी से कोई जमानत या बैंक गारेंटी नहीं ली गयी है। क्षेत्र पंचायत के बैठक में प्रस्ताव संख्या-7 में उल्लेख था क जो एजेन्सी सामग्री की आपूर्ति करेगी वही स्ट्रीट लाईटों को स्था पत करेगी जब क स्ट्रीट लाईटों को नगर पंचायत द्वारा स्था पत कया गया।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया क कार्य को जल्दी पूर्ण कया जाना था इस लए अध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार केवल वत्तीय नि वदा आमंत्रित की गयी। आपूर्तिकर्ता एजेन्सी द्वारा स्ट्रीट लाइटों को लगाने हेतु वलम्ब कया जा रहा था इस लए नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा स्ट्रीट लाईटों को लगाने का कार्य स्वयं कया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त कार्य हेतु तकनीकी नि वदा आवश्यक आमंत्रित की जानी चाहिए थी जिससे यह पता चलता क एजेन्सी नोर्म्स पूरे करती है या नहीं। जमानत भी जमा कर लेनी चाहिए थी ता क रख-रखाव का कार्य एजेन्सी द्वारा कया जाता। नगर पंचायत द्वारा ऐसा न करके नियमों का अनुपालन नहीं कया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली के तहत निर्माण कार्यों पर उपकर की कटौती न कया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या 740/viii/14-680(श्रम)2002 टी.सी.-ii दिनांक 13.08.2014 द्वारा व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्र मकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अ धनियम, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियम) अ धनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अंतर्गत अ धनिय मत कये गए है जिनमें निर्माण श्र मको के पंजीयन के उपरांत उन्हे व भन्न हितकारी योजनाओं जैसे पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरांत सहायता, च कत्सा सहायता, बच्चों की शक्षा हेतु आ र्थक सहायता, मात्रत्व हितलाभ, पुत्री के ववाह हेतु आ र्थक सहायता टूल कट के रुप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित कये जाने का प्रावधान निहित कये गये है। उक्त अ धनियम में पंजीकृत श्र मकों के कल्याणकारी योजनाओं के लए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अ धष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का 1% उपकर के रुप में कल्याण बोर्ड़ की नि ध में जमा कये जाने का प्रावधान था। उपरोक्त अ धनियमों के अंतर्गत सरकारी/गैरसरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मि लत कये गये थे जिनमें 10 या 10 से अ धक निर्माण श्र मक वगत एक वर्ष में कसी भी दिन नियोजित रहे हो। ग्राम्य वकास वभाग के समस्त खण्ड़ वकास अ धकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अ धकारी के रुप में नियुक्त कये गये थे। कार्यालय अ धशासी अ धकारी नगर पंचायत द्वारहाट जनपद-अल्मोड़ा में निर्माण कार्यों से संबन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया की नगर पंचायत जनपद-अल्मोड़ा में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया की नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक कये गये निर्माण कार्यों से उपकर की कटौती नहीं की है।

उपर्युक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क शासनादेश के अभाव में लेबर सेस (उपकर) की कटौती नहीं की जा सकी, भ वष्य में निर्माण कार्यों के आगणन में 1% उपकर का प्रावधान कया गया जाएगा एवं कटौती कर नि ध में जमा करने की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क उक्त के संबंध में उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा वर्ष 2014 में निर्देश जारी कर दिये थे। इकाई द्वारा शासनादेश का अनुपालन नहीं कया गया है।

अतः उपकर की कटौती न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- गृहकर की दरों को लम्बी अव ध से पुनरी क्षत न करने के कारण नगर पंचायत को राजस्व की हानि एवं वर्तमान दरों पर रु. 38525/- धनरा श की वसूली लंबित रहना।

नगर पंचायत में गृह कर निजी आय का मुख्य स्रोत होता है जिसकी वसूली निय मत होनी चाहिए एवं गृहकर का अ धरोपण तथा पुनरीक्षीकरण एक निश्चित अंतराल में कया जाना चाहिए ता क नगर पंचायत की आय में वद् ध हो सके एवं प्राप्त धनरा श का उपयोग वकास कार्यों में कया जा सके।

नगर पंचायत द्वाराहाट में गृह कर से संबन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क नगर पंचायत द्वाराहाट का गठन वर्ष 1978 में हुआ था तब से लेकर आज तक गृहकर की दरों को पुनरी क्षत नहीं कया गया एवं पुरानी दरों पर कर की वसूली की जा रही है। आगे जांच में पाया गया क नगर पंचायत में कुल 07 वार्ड़ है जिसमें मार्च 2017 तक रु. 38525 /- की धनरा श वसूली हेतु अवशेष थी।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क बकाये की वसूली कर ली जाएगी एवं गृह कर की दरों को बढाने हेतु बोर्ड़ में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। भ वष्य में गृह कर की दरों को बढाने हेतु कार्यवाही की जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क गृह कर की दरों को लम्बी अव ध से पुनरी क्षत नहीं कया गया है। जिससे नगर पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है। एवं वर्तमान दरों पर भी वसूली निय मत नहीं हो रही है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

लम्बित वसूली का वार्ड़बार ववरणः-

क्र.सं.	वार्ड़	बकाया
1	हाट वार्ड़ काली खोली	रु. 2670/-
2	वर्सोखोला	रु. -2120/-
3	शीतला पुष्कर	रु. 7825/-
4	मठपाल खोला	रु. 4320/-
5	पूर्वी बाजार	रु. 7120/-
6	वधापुर	रु. 7915/-
7	कनार	रु. 6555/-
कुल		रु. 38525/-

भाग-III

(क) **परिचयात्मक** : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल, जनपद-नैनीताल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **03/2016** तक की संप्रेक्षा श्री हिंमाशु शर्मा, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक **16.03.2018** से **23.03.2018** तक संपादित की गयी |

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारुप में दो प्रतियाँ में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रुप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रे षत की जाए। मुख्यालय पर संबं धत क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या वचारोपरान्त वर्गा धकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हा दिया जाए। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग -III में रखा जाए)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षादल टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, जनपद-रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री श्याम सुंदर प्रसाद	अधिशासी अधिकारी	
02.	श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी	अधिशासी अधिकारी	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत द्वाराहाट, जनपद-अल्मोड़ा** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/35 दिनांकित 23.11.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
स्थानीय निकाय